न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 07 / 2018

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2018 / 00042

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
दरजमल पुत्र घमण्डीराम, कौम–सोनी–निवासी–सांचौर, तहसील–सांचोर		राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहित शाह जुनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 17.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया कि प्रार्थी कस्बा सांचौर का स्थाई निवासी है तथा प्रार्थी के मकबूजा खातेदारीसुदा, कब्जासुदा की भूमि वांके सरहद मौजा सांचौर, पटवार हल्का–सांचौर, जिला–जालोर में खाता नंबर 154 खसरा नंबर 3551 / 118 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 3552 / 3389 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर की स्थित है। नकल वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस सलंग्न प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ पेश है। उक्त भूमि खसरा नंबर 3551 / 118 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 3552 / 3389 रकबा 0.14 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में तो राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा सही इन्द्राज किया गया। मगर हल्का पटवारी द्वारा ट्रेस नक्शा में उक्त भूमि का पैमाईश अनुसार तरमीम नहीं कर अपनी मनमर्जी अनुसार लाल स्याही से लाईन खींच दी जो रकबा के अनुसार मेल नहीं खाता है। इस प्रकार अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से भूमि तरमीम करते वक्त लाईन खींची है जो एक लिपिकीय भूल है तथा ऐसी लिपिकीय भूल को सुधारा जाना न्यायसंगत होने से यह प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड शुद्वि का माननीय न्यायालय में पेश है। [illegible] इन्द्राज बिल्कुल सही दर्ज किया गया है, मगर ट्रेस नक्शे में पेन मिस्टिक [illegible] दर्ज हो गया है, जिस कारण सुधारा जाना अर्थात स्केल [illegible] ट्रेस नक्शे में किया जाना कानूनिया जरूरी है सो प्रार्थना–पत्र पत्र श्रीमान जी की सेवा में पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय महोदय से निवेदन है कि मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर में स्थित प्रार्थी की मकबूजा खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा की भूमि खसरा नंबर 3551 / 118 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 3552 / 3389

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर की स्केल से पैमाईश कर नक्शा ट्रैस में सही इन्द्राज कर भूमि तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी के नाम प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आये तथा राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जांच रिर्पोट अनुसार मौजा सांचोर के खेत खसरा संख्या 3551 / 118 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3552 / 3389 रकबा 0.14 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.20 हैक्टेयर की नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त एवं वाद संख्या 43 / 93 निर्णय दिनांक 06.06.1994 के संलग्न प्रमाणित नजरी नक्शा के अनुरूप दर्ज नहीं होकर लिपिकीय त्रुटिवंश नक्शा लट्ठा में तरमीम त्रुटि हुई है। जांच रिपोर्ट एवं गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर में स्थित प्रार्थी की मकबूजा खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा की भूमि खसरा नंबर 3551 / 118 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 3552 / 3389 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर की स्केल से पैमाईश कर नक्शा ट्रैस में सही इन्द्राज कर भूमि तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी के नाम प्रदान करावें।

राज पैरोकार सांचौर द्वारा अपनी बहस में निवेदन नकिया कि प्रार्थना–पत्र को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया। उक्त पत्रावली एवं उस पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पूर्णतया साबित नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचानुसार निष्कर्षत प्रार्थना–पत्र [illegible] प्रमाणित दस्तावेज के अभाव में पूर्णतया साबित नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से [illegible] अस्वीकार / खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod K
Date: 2025.02.07 17:04:13 IS
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर